राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः– एफ. 11 ( )( ) निरी./मो./ आईसीडीएस/ 16/ 153968-154304 जयपुर, दिनांकः 17.11.16
उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग/
बाल विकास परियोजना अधिकारी
समस्त।

विषयः– गुरुवार प्रातःकालीन साप्ताहिक निरीक्षण के क्रम में।
प्रसंगः– निदेशालय के पूर्व निर्देश दिनांक 26.04.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक निर्देश दिनांक 26.04.2016 की अनुपालना में किये गये निरीक्षण के क्रम में जिले की विगत निरीक्षण रिपोर्टों का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ है कि कतिपय जिलों में वक्त निरीक्षण बन्द पाये गये आंगनबाड़ी केन्द्रों के विरूद्ध जारी नोटिसों की संख्या अपेक्षाकृत कम पाई गयी है। इसी प्रकार अनियमित पाये गये केन्द्रों के विरूद्ध पर्यवेक्षणीय अधिकारी के विरूद्ध भी अनुशासनिक कार्यवाही की संख्या कम पाई गयी है।

इसी संदर्भ में निदेशालय के पूर्व निर्देश पत्रांक 74256 –593 दिनांक 04.06.16 द्वारा समस्त महिला पर्यवेक्षकों को आदेशित किया गया था कि प्रतिदिन सर्वप्रथम केन्द्र खुलने के समय अपने सेक्टर मुख्यालय स्थिति आंगनबाडी केन्द्र पर जायेंगी व अपनी उपस्थिति रजिस्टर में पहुँचने का समय लिखकर दर्ज करेंगी तथा इसी उपस्थिति रजिस्टर में आंगनबाडी कार्यकर्ता, ऑगनबाडी सहायिका व आशा–सहयोगिनी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगी तत्पश्चात् आगमन पंजिका में उस दिन विजिट किये जाने वाले ऑगनबाडी केन्द्र को दर्शाते हुए निरीक्षण पर जायेंगी तथा निरीक्षण किये गये आंगनबाडी केन्द्र पर आगमन और प्रस्थान का समय भी अनिवार्य रूप से विजिट रजिस्टर में दर्ज करेंगी। ये भी स्पष्ट किया गया था कि महिला पर्यवेक्षक की विजिट के पश्चात् आंगनबाडी केन्द्र पर उच्चाधिकारियों की विजिट के दौरान अनियमितताऐं पायी जाती हैं तो सुपरवाईजरी नेगलेजेन्सी मानते हुए महिला पर्यवेक्षक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

अतः सभी पर्यवेक्षणीय अधिकारीयों को निम्नानुसार आदेशित किया जाता है कि:–

1. उक्त निर्देश दिनांक 04–06–16 के अनुसार आगामी निरीक्षणों में उक्तानुसार बन्द/ अनियमित पाये जाने वाले केन्द्रों के लिए सम्बन्धित के विरूद्ध समुचित कार्यवाही अमल में लायी जाकर किये गये निरीक्षण रिपोर्टो का गहनता से समीक्षा कर पाई गई कमियों को दुरस्त करवायें।

2. निरीक्षण के दोरान 3–6 वर्ष के बच्चों को सुबह का नाश्ता व दोपहर का गर्म भोजन व पोषाहार की गुणवत्ता, शाला पूर्व शिक्षा (Pre School Education) , THR के लाभार्थियों को नियमित रूप से पोषाहार वितरण एवं पैक्ड पोषाहार की मात्रा व गुणवत्ता

एवं Growth Chart का संधारण स्वास्थ्य जांच, सहित टीकाकरण (MCP Card) व संदर्भ सेवाओं (Refferal) की व्यवस्था पालन की स्थिति व रिकॉर्ड संधारित करने की व्यवस्था का भी निरीक्षण करेगें।

3. निरीक्षण से वंचित रहे आंगनबाडी केन्द्र को अब प्राथमिकता के साथ में निरीक्षण करते हुए सभी केन्द्रो का 100 प्रतिशत निरीक्षण करना सुनिश्चित करे।
4. सभी पर्यवेक्षणीय अधिकारी प्रति निरीक्षण कम से कम एक पर्यवेक्षक सेक्टर मुख्यालय पर स्थित आंगनवाडी केन्द्र प्रथम पर उक्तानुसार पर्यवेक्षक द्वारा उपस्थिति दर्ज करने तथा विजिट रजिस्टर संधारित करने की व्यवस्था का निरीक्षण करेगें।

(डॉ0 समित शर्मा)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर।

15436S-315

क्रमांकः– एफ. 11 ( )( ) निरी./मो./ आईसीडीएस/ 16/ जयपुर, दिनांकः 17.11.16

प्रतिलिपिः:–

1. सभी अधिकारीगण, मुख्यालय को भेजकर लेख हे कि अपने निरीक्षण के दौरान उक्तानुसार व्यवस्था पालन की स्थिति की समीक्षा कर टिप्पणी अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में अकित किया जावें ।
2. ए.सी.पी. एवं उप निदेशक, कम्प्यूटर प्रशाखा, मुख्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया इसे विभागीय वेबसाईट पर आज ही अपलोड करने का श्रम करें।

17.11.16

(रामावतार मीणा)
उप निदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर